



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 15 सितम्बर, 1997

भाद्रपद 24, 1919 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग--1

संख्या 1259/64-1-97 70-96

लखनऊ, 15 सितम्बर, 1997

अधिसूचना

प० नं०--576

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की धारा 13 के अधीन शर्त का प्रयोग करके, राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

1--उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में,--

(क) नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी प्रविष्टियों के स्थान पर प्रत्येक के सामने स्तम्भ-2 में दी गयी प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

- 1--अहीर
- 4--कहार
- 15--गढ़रिया
- 24--तेली, सामानी, रोगतगर
- 25--बर्जी, इवरीसी
- 31--बंजारा
- 37--भर
- 38--मुर्जी या मड़भूंजा, मूज, कांबु

स्तम्भ-2

- 1--अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय
- 4--कहार, संख्य
- 15--गढ़रिया, पाल और बघेल
- 24--तेली, सामानी, रोगतगर, साहु
- 25--बर्जी, इवरीसी, काफुरहस्य
- 31--बंजारा, रंकी, मुकेरी और मुकेरानी
- 37--भर, राजभर
- 38--मुर्जी या मड़भूंजा, मूज, कांबु, कशीधन

- (ख) प्रविष्टि 57 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ी हो जायेगी, यथा:—
- “58—धोबी (जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं)
- 59—कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार
- 60—नामवाही
- 61—मीर शिकार
- 62—शेख, सरवरी (पिराई), पीराही
- 63—मेव, मेवाती
- 64—कोष्टा/कोष्टी
- 65—रोड़
- 66—खुमरा; संगतराश, हंसिरी”

— ब्रजेश ठाकुर,
 डी.के.पी.ओ. सिंह,
 सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1259/LXIV-1-97-70-96, dated September 15, 1997 :

No. 1259/LXIV-1-97-70-96
 Dated Lucknow, September 15, 1997

In exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for scheduled Castes, scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 (U. P. Act No. 4 of 1994, the Governor is pleased to make the following amendment in schedule 1 of the aforesaid Act :—

“AMENDMENT

1. In schedule 1 to the aforesaid Act,—
 (a) for the entries set out in column 1 below, the entries as set out against each in column 2 shall be substituted namely :—

Column-1	Column-2
1—Abir	1—Ahr, Yadav, Gwala, Yaduvanshiya
4—Kahar	4—Kahar, Kashyap
15—Gareria	15—Gareria, Pal and Vaghel
24—Teli, Senaxi, Rognagar	24—Teli, Samani, Rognagar, Sahu
25—Darji, Idrisi	25—Darji, Idrisi, Kakutstha
31—Banjara	31—Banjara, Ranki Muketi and Mukeranl
37—Bhar	37—Bhar, Rajbhar
38—Bhurji, Bharbhunja, Bhooj, Kandu	38—Bhurji, Bharbhunja, Bhooj, Kandu, Kashaadhan

- (b) after entry 57, the following entries shall be inserted, namely :—
- “58—Dhobi (Who are not included in the category of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes)
- 59—Kasera, Thathera, Tamrakar
- 60—Nanbai
- 61—Mirshikar
- 62—Shekh, Sarwari (Pirai), Peerah
- 63—MeV, Mewati
- 64—Koshta/Koshti
- 65—Ror
- 66—Khumra, Sangatarash, Hansiri”

By order,
 K. P. SINGH,
 Sachiv.